खास तरह के कागज पर जारी होगा रवन्ना

देहरादून। खनिज निकासी के लिए अहम रवन्ने में गड़बड़ी की आशंका को खत्म करने के लिए खास कागज के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस कागज की न फोटोकॉपी हो सकेगी न ही छेड़छाड़। सभी पट्टाधारकों, स्टोन क्रशर को इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इस व्यवस्था को अगले महीने से लागू करने की तैयारी चल रही है।

रेता, बजरी समेत अन्य खनिजों की निकासी में रवन्ना प्रपत्र महत्वपूर्ण होता है। इस रवन्ने में खनिज के लाने वाले और भेजने वाले स्थलों का नाम, दिन, समय, दूरी, क्रय- विक्रय करने वालों के नाम, वाहन का नंबर आदि सभी सूचनाएं दर्ज होती हैं। चेकिंग दल भी संबंधित प्रपत्रों को चेक करते हैं पर इसमें फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे। फर्जी रवन्ने के मामले में दो सालों में करीब 12 एफआईआर हुई हैं। अब भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग रवन्ना को सिक्योरिटी पेपर के माध्यम से जारी करने की व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रहा है। मा.सि.रि.

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने फर्जी रवन्ने को रोकने के लिए बनाई योजना

" अब रवन्ने को सिक्योरिटी पेपर के माध्यम से जारी करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस खास पेपर में होलोग्राम, वॉटर मार्क समेत अन्य फीचर भी होंगे। इससे फर्जी रवन्ने पर प्रभावी रोकथाम लग सकेगी। इस संबंध में सभी क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पट्टेधारकों को जानकारी दी जा चुकी है। **-राजपाल लेघा,** निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग